# परिवहन निगम मुख्यालय
# लखनऊ

पत्रांकः-695सीईएनटी / 2023-810निगम / पारि0-प्रोत्सा0 / 12-1   दिनांक 15 फरवरी, 2024

1-समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / सेवा प्रबन्धक,
2-समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो / वित्त / कार्मिक),
उ0प्र0परिवहन निगम।

विषयः **संविदा चालक / परिचालक के किमी0 आधारित पारिश्रमिक पर ई.पी.एफ. की कटौती के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक निगम मुख्यालय से निर्गत परिपत्र संख्याः- 8046सीईएनटी / 2023-810निगम / पारि-प्रोत्सा / 2012-1, दिनांक 21.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके माध्यम से संविदा चालकों / परिचालकों की पारिश्रमिक दरों में 08 प्रतिशत की वृद्धि दिनांक 01.12.2023 से सम्पूर्ण पारिश्रमिक राशि (बेसिक वेजेज) (Basic Wages) में किये जाने तथा ईपीएफ राशि की कटौती हेतु पृथक से निर्गत किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये थे।

ई0पी0एफ0 एण्ड एम0पी0 अधिनियम-1952 में परिभाषित बेसिक वेजेज (Basic Wages) जिस पर ई0पी0एफ0 अंशदान की कटौती की जानी होती है, के विषय में अधिनियम में उपलब्ध सुसंगत उपबन्धों / प्राविधानों तथा एतदविषयक मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों, विधिक प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त् निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त परिपत्रानुसार किमी0 आधारित नवीन पुनरीक्षित पारिश्रमिक दर रू0 1.89 प्रतिकिमी0 के अनुसार **संविदा परिचालकों हेतु रु0 6500.00 (रूपया छः हजार पॉच सौ मात्र) मासिक से अनाधिक की सीमा तक एवं संविदा चालकों हेतु रु0 5500.00 (रूपया पॉच हजार पॉच सौ मात्र) मासिक से अनाधिक की सीमा तक देय सम्पूर्ण पारिश्रमिक पी0एफ0 बेसिक वेजेज (Basic Wages) होगी, जिस पर नियमानुसार मासिक ई0पी0एफ0 अंशदान की कटौती की जायेगी।** संविदा परिचालकों / चालकों द्वारा माह में अधिक ड्यूटी करने / अधिक मासिक किमी0 अर्जित करने की स्थिति में संविदा परिचालकों हेतु रुपया 6500.00 की मासिक से अधिक व संविदा चालकों हेतु रु0 5500.00 मासिक से अधिक पारिश्रमिक देय होने पर रु0 6500.00 / 5500.00(प्रति संविदा परिचालक / चालक) से अधिक देय पारिश्रमिक धनराशि Productivity-Linked प्रोत्साहन के रूप में देय होगी, जो उक्तानुसार परिभाषित पी0एफ0 वेसिक वेजेज (Basic Wages) की परिधि से बाहर होगी।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

( मासूम अली सरवर )
प्रबन्ध निदेशक